



डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन नं०-0522-4918504, 4918507, फैक्स नं०-0522-4918506

::कार्यालय ज्ञापः

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं०-746/71-2-13-42/2009 दिनांक 15 मार्च 2013 तथा शासनादेश सं०-1421/71-2-16-आर०एम०-18 दिनांक 19 मई 2016 के माध्यम से इस संस्थान के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ में अनुमन्य भत्तों एवं सुविधाओं को यथावत् लागू करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ में केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति छुट्टी यात्रा रियायत (Leave Travel Concession) तथा गृहनगर हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (Home Travel Concession) की सुविधा दी जा रही है।

अतएव डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 2015 की धारा 34-(2) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार संस्थान के कार्मिकों को अनुमन्य की जाने वाली वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रख्यापित की जाने वाली विनियमावली के प्रख्यापन की तिथि तक इस संस्थान के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को छुट्टी यात्रा रियायत (Leave Travel Concession) तथा गृहनगर हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (Home Travel Concession) की सुविधा एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।

संलग्नक:-आवेदन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा।

(प्र० दीपक मालवीय)
निदेशक

पत्रांक 3028/डा०रा०म०लो०इ०मे०सा०/नि०कै०/2018

दिनांक-04 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि:-

1. वित्त नियंत्रक, डा०रा०म०लो०इ०मे०सा०, लखनऊ।
2. डीन, डा०रा०म०लो०इ०मे०सा०, लखनऊ।
3. चिकित्सा अधीक्षक, डा०रा०म०लो०इ०मे०सा०, लखनऊ।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ कि संलग्न प्रोफार्मा कार्मिकों के डाउनलोड करने हेतु संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-आवेदन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा।

(प्र० दीपक मालवीय)
निदेशक